

महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालयः



Maharshi Valmiki Sanskrit University

(हरियाणासर्वकाराधिनियम २०/२०१८ द्वारा संस्थापितः)

Established by Government of Haryana Act 20/2018

मौनधारा (मून्डडी), कपिष्ठलम् (कैथलनगरम्) १३६०२७, हरियाणा

MAUNDHARA (Mundri), KAPISHTHLAM (Kaithal) – 136027 (HARYANA)



क्रमाङ्कः/S.No. :- MVSU/ADMIN/2024/.....१३३४

दिनाङ्कः/Dated:-.....२६/१२/२४

सूचना

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, मून्डडी कैथल के लिये Hynudai Verna, Maruti Suzuki Ciaz, Honda City में से कोई भी एक गाड़ी 2500 किलो मीटर प्रति माह के लिए अनुबंध आधार पर गाड़ी की ऑनलाईन कुटेशन आमंत्रित की जाती है।

जिसके लिए इच्छुक फर्म निम्न नियम व शर्तों अनुसार अपनी कुटेशन दिनांक 02/01/2025 को सांय 05:00 बजे तक विश्वविद्यालय की ई.मेल registrar@mvsu.ac.in पर भेजें।

नियम व शर्तों:-


1. 15 रुपये के Non-judicial Paper पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के साथ Agreement करना होगा।
2. एक वर्ष का Contract date of agreement से होगा।
3. चालक वाहन मालिक द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। किसी दिन यदि चालक उपलब्ध नहीं होगा तो 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भुगतान में से कम कर दिये जायेंगे।
4. वाहन का कितने किलोमीटर पर कितना शुल्क होगा।
5. चालक के पास वैध लाईसेंस तथा पैन नम्बर होना अनिवार्य है।
6. वाहन के सभी दस्तावेज जैसे बीमा, प्रदूषण, आर. सी. आदि पूरे होने चाहिए।
7. वाहन दो या तीन वर्ष से पुराना नहीं होगा चाहिए।
8. वाहन के किराये का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से प्रति माह किया जायेगा।
9. लॉग बुक को नियमित रूप से पूरा करना होगा।
10. वाहन खराब होने, सर्विस करवाने या चालक का स्वास्थ्य ठीक न होने पर अन्य गाड़ी व चालक की व्यवस्था करनी होगी।
11. वाहन में सभी प्रथम चिकित्सा साग्रगी, अग्निशामक यंत्र होने अनिवार्य है।
12. वाहन का तेल, सर्विस व अन्य सभी खर्चे जैसे टोल फीस, बीमा व्यय आदि वाहन मालिक द्वारा वहन करना होगा।
13. विश्वविद्यालय को अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।

Office : Dr. B.R. Ambedkar Govt. College, Jagdishpura, Kaithal-136027 (Haryana)

परिसर: - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, जगदीशपुरा, कैथल – १३६०२७, हरियाणा

सम्पर्क सूत्र:- 9350045366 ईमेल (E-mail) : mvsu.mktl@gmail.com, admin@mvsu.mktl.ac.in

- 14. दुर्घटना की स्थिति में किसी भी प्रकार के केस का जिम्मेदार चालक स्वयं होगा।
- 15. कोई भी चालान अन्य कोई भी दण्डात्मक गतिविधि का जिम्मेवार स्वयं चालक होगा।
- 16. वाहन का A.C व HEATER दोनों दुरुस्त होने चाहिए।
- 17. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में इच्छुक फर्म कुलसचिव कार्यालय, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल में कार्य समय के दौरान समापन तिथि से पहले (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं।
- 18. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को कुलपति, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के निर्णय मान्य होंगे।
- 19. सभी विवाद कैथल क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
- 20. वाहन मालिक द्वारा राशि 10,000/- रुपये का चालान/चैक विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। वाहन मालिक द्वारा उपरोक्त में सभी नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया गया तो राशि 10000/- को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
- 21. अनुबन्धित दूरी (2500 कि.मी प्रति महिना) से अधिक गाड़ी चलाने पर प्रति कि.मी. की दर भी कोटेशन में देनी आवश्यक है।
- 22. वाहन मालिक द्वारा 10000/- का चैक विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। यदि वाहन मालिक द्वारा वाहन की गलत जानकारी देता है तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।


-sd- 26/12/24
उपकुलसिचव